

प्ररूप ख  
FORM B

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999  
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA  
(CREDIT RATING AGENCIES) REGULATIONS, 1999

[विनियम 8 क (6) ]  
[REGULATION 8 A(6)]

साख निर्धारण एजेंसी के रूप में स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र  
CERTIFICATE OF PERMANENT REGISTRATION AS CREDIT RATING AGENCY

- I. बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, के अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, read with the regulations made thereunder the Board hereby grants a certificate of permanent registration to

स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड  
SMERA RATINGS LIMITED

को साख निर्धारण एजेंसी के क्रियाकलाप करने के लिए विनियमों में शर्तों के अनुसार और के अध्यक्षीन साख निर्धारण एजेंसी के रूप में स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्वारा प्रदान करता है ।  
as a credit rating agency in accordance with and subject to the conditions in the regulations to carry out the activity of the credit rating agency.

- II. साख निर्धारण एजेंसी के लिए रजिस्ट्रीकरण सं. आईएन/सानिए/ 006 /2011 है ।  
Registration Number for the Credit Rating Agency is IN/CRA/ 006 /2011.
- III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र स्थायी रूप से विधिमान्य होगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाये ।  
This certificate of registration shall be valid for permanent, unless suspended or cancelled by the Board.

स्थान : मुम्बई  
Place : Mumbai  
तारीख : 03 मई, 2016  
Date : May 03, 2016

आदेश द्वारा  
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के लिए और की ओर से  
By order for and on behalf of  
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA



  
(सुरभि गुप्ता SURABHI GUPTA)  
प्रभाग मुख्य / Division Chief